CNR No. UPVR010026952026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–128 / 2026

निर्मला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य

07–07–2026

1– पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। पूर्व तिथि पर विलम्ब माफी प्रार्थनापत्र 7ख पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है।

2– प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र 7ख मय प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि निगरानी प्रार्थना–पत्र दाखिल करने में 70 दिवस का विलम्ब हो चुका है। उसने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। याचना की गयी है कि विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

3– उक्त विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति की गयी एवं विपक्षी सं0 2 व 3 की ओर से आपत्ति–पत्र 10ख प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

4– सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5– प्रस्तुत प्रकरण को देखा जाय तो यह दाण्डिक निगरानी प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28–11–2025 के विरूद्ध विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र के साथ दिनांक 17–03–2026 को दाखिल की गयी है। मुंसरिम आख्या के अनुसार निगरानी 30 दिन विलम्ब से दाखिल की गयी है। प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है। विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है।

6– अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि न्याय के हित में, न्यायालय को विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र पर अत्यंत उदार रुख अपनाना चाहिए। अतएव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं प्रकरण को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र 7ख अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 7ख अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली आपराधिक निगरानी की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 17–07–2026 को पेश हो।

दिनांक : 07–07–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

Steno-Md Imran

J.O. Code-UP1900

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.07.16 12:28:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court